प्रतिलिपि आदेश दिनांक 04–3–16 पारित द्वारा सदस्य राजस्व मंडल, म0प्र0, ग्वालियर प्रकरण कमांक अपील 762–एक/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–2–16 पारित द्वारा कलेक्टर, जबलपुर प्रकरण कमांक 108/अ–21/14–15.

———

सूरज प्रसाद गौंड पिता श्री जयराम सिंह गौंड
उम्र करीब 36 वर्ष निवासी ग्राम दिया खेड़ा
पोस्ट गंगई बड़खेरा
थाना चरगंवा तहसील शहपुरा
जिला जबलपुर ——— आवेदक

विरूद्ध

1– श्री विपत राय पिता श्री सोनेलाल राय
उम्र 46 वर्ष निवासी ई.डब्लू.एस. 48/35
बाजनामठ कॉलोनी, मेडीकल जबलपुर

2– श्री कौंडीलाल राय पिता श्री लक्ष्मीप्रसाद राय
निवासी ग्राम ललपुर पोस्ट धरमपुरा
तहसील शहपुरा जिला जबलपुर

3– म0प्र0 शासन द्वारा
कलेक्टर, जिला जबलपुर ——— अनावेदकगण

———

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक - निग0 762-एक/16 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-3-16	यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 108/अ-21/14-15 में पारित आदेश दिनांक 29-2-16 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2- आवेदक एवं अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया । आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम सहकरी प.ह.नं. 66/71 रा.नि.मं. चरगवां तहसील शहपुरा जिला जबलपुर स्थित भूमि सर्वे नं. 88, 89, 104, 105/1, 105/2, 111, 113, 116, 120, 124, 132, 182, 233, 234, 235, 236, 237, 239 कुल 18 खसरे रकबा कमशः 0.23, 0.27, 0.40, 0.06, 0. 26, 0.08, 0.26, 0.30, 0.31, 0.41, 0.12, 0.05, 0.94, 0.53, 1.09, 0.37, 0.75 एवं 0.66 कुल रकबा 7.09 हैक्टर को अनावेदक कमांक 1 एवं 2 श्री विपत राय एवं श्री कौंडीलाल राय को विक्रय करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । अनु. अधिकारी ने उक्त आवेदन नायब तहसीलदार, चरगवां को जांच हेतु भेजा गया । जिस पर से नायब तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर तथा उभयपक्ष के कथन लेने के उपरांत भूमि विक्रय की अनुशंसा का प्रतिवेदन अनु. अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है । प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर द्वारा उभयपक्ष के कथन सुनकर प्रकरण आदेश हेतु रख गया किंतु बाद में उन्होंने आलोच्य आदेश द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को स्पष्ट प्रतिवेदन देने हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा गया है । इस आदेश के विरूद्ध यह अपील है । कलेक्टर के आदेश के संबंध में आवेदक अधिवक्ता का कहना है कि क नायब तहसीलदार ने सम्पूर्ण जांच कर प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी को भेजा गया है, प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अनुविभागीय	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

अधिकारी ने नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन के अवलोकन उपरांत उससे सहमत होते हुए अग्रिम कार्यवाही हेतु उसे कलेक्टर को प्रेषित किया है । इस संबंध में मेरे द्वारा नायब तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदनों का अवलोकन किया गया । नायब तहसीलदार ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रकरण दर्ज किया जाकर इश्तहार प्रकाशन कर दावा आपत्ति आमंत्रित की गई किंतु इश्तहार पर कोई आक्षेप नहीं आया । प्रश्नाधीन भूमि शासकीय नहीं है, ग्राम में जनजाति के लोग हैं किंतु वे भूमि क्रय करना नहीं चाहते । भूमि विक्रय करने से आवेदक पर विपरीत असर नहीं पड़ेगा । उक्त भूमि विक्रय के उपरांत आवेदक के पास 2.97 हैक्टर भूमि शेष बचती है जिसमें 1.46 सिंचित है । प्रतिवेदन में यह भी लेख किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि निवास स्थान से 14 किलोमीटर तथा रोड से 4 किलोमीटर अंदर है । आवेदक भूमि 14 किलोमीटर दूर होने, सोसायटी से लिए गए कर्ज, पारिवारिक सदस्यों की पढ़ाई इत्यादि के लिए जरूरत होने से भूमि विक्रय करना चाहता है । जहां तक अनुविभागीय अधिकारी का प्रश्न है, उनके द्वारा नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमति होते हुए कार्यवाही कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रेषित किया है । तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदनों को देखते हुए यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में पुनः किसी अभिमत की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है । कलेक्टर किस बिंदु पर स्पष्ट अभिमत चाहते हैं, इसका कोई उल्लेख उन्होंने अपने आदेश में नहीं किया है । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि प्रकरण को पुनः अभिमत हेतु भेजने के निर्देश देने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई है । अतः यह निगरानी इसी स्तर पर स्वीकार की जाती है तथा कलेक्टर के समक्ष प्रचलित कार्यवाही समाप्त करते हुए आवेदक को उसके भूमि स्वामित्व की ग्राम सकरी प.ह.नं. 66/71 रा.नि.मं. चरगवां तहसील शहपुरा जिला जबलपुर में भूमि सर्वे नं. 88, 89, 104, 105/1, 105/2, 111, 113, 116, 120, 124, 132, 182, 233, 234, 235, 236, 237, 239 कुल 18 खसरे रकबा क्रमशः 0.23, 0.27, 0.40, 0.06, 0.26, 0.08, 0.26, 0.30, 0.31, 0.41, 0.12, 0.05, 0.94, 0.53, 1.09, 0.37, 0.75 एवं 0.66 कुल रकबा 7.09 हैक्टर जिला जबलपुर को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है ।

1- यदि प्रस्तावित क्रेता वर्तमान वर्ष 2015-16 की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो ।

-3-

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक - निग0 762-एक/16 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	2- क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी । 3- भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 4 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा । निगरानी तद्नुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित हों । (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर	